ग्राम पंचायत मूहीं, विकास खण्ड परागपुर, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.15से 31.03.18

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मूहीं, विकास खण्ड परागपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्रीमति स्नेह लता	01.04.15 से 22.01.16
2	श्री सुरजीत सिंह	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्री विपन कुमार	01.04.15 से 30.03.16
2	श्रीमति वारसन बीवी	01.04.16 से 11.10.16
3	श्री दिनेश कुमार	12.10.16 से 15.02.17
4	श्री गुरनाम सिंह	16.02.17 से 08.03.17
5	श्री जीवन कुमार	09.03.17 से 31.03.18

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत मूहीं, विकास खण्ड परागपुर के लेखाओं अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ वही व बैंक खाते में भारी अन्तर पाया जाना	5.62
2	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.55
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	14.41
4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	2.80
5	8	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	10.43
6	10	व्यय से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	1.40
7	11	स्वीकृत राशि से अधिक व्यय करना	6.34
8	12	सोलर लाइटों के क्रय में अधिक भुगतान	1.18

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत मूहीं, विकास खण्ड परागपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2015 से 03/2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री जीवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 07.04.18 से 11.04.2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2015-16	02/2016	07/2015
2016-17	02/2017	02/2017
2017-18	02/2018	09/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/

गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत मूहीं, विकास खण्ड परागपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 109 दिनांक 11.04.18 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 48863 (KCCB) दिनांक 12.04.18 ₹7200 निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया I

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत मूहीं द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **स्व स्त्रौत :-** ग्राम पंचायत मूहीं, के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक की स्व स्त्रौतों की वितीय स्थिति का **परिशिष्ट–1** के अनुसार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2015-16	139093	56168	195261	19757	175504
2016-17	175504	82427	257931	43639	214292
2017-18	214292	82655	296947	30072	266875

(2) **अनुदान :-** ग्राम पंचायत मूहीं, के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2015-16	284167	3000418	3284585	2699875	584710
2016-17	584710	3744176	4328886	3244633	1084253
2017-18	1084253	4504389	5588642	4147597	1441045

(3) बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.18 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹266875

अनुदान :-

दिनांक 31.03.18 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹1441045

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों **में**

दिनांक 31.03.18 को अन्तिम शेष : ₹1707920/-

दिनांक 31.03.18 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹2269808/-

दिनांक 31.03.18 को हस्तगत राशि : ₹451/-

अन्तर : ₹562339/-

दिनांक 31.3.18 को विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि का अन्तशेष

बैंक खाता संख्या	**राशि**
GEN-A, 13th & 14th FC, GEN-B, KCCB-20073017862	1467242.00
MP LAD, KCCB-50051232021	560696.00
TSC, KCCB-50051231991	28156.00
RAY, KCCB-50051232009	210.00
FC, KCCB-50051231980	78027.00
Water Shed, KCCB-50050915245	75589.00
WDF, KCCB-50058270069	59888.00
MNREGA, KCCB -20073043348 (Closed)	-
कुल राशि	**2269808.00**

4.1 रोकड़ बही **का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ वही व बैंक खाते में ₹5.62** लाख का भारी अन्तर :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.18 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ वही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹562339/- का अन्तर पाया गया जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में दिया गया है । जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108 दिनांक 11.04.18 द्वारा कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 136/18 दिनांक 11.04.18 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अन्तर बारे जांच उपरान्त अवगत करवा दिया जायेगा । अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ वहियों के शेषों से बैंक खातों के शेष के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

4.2 निर्धारित सीमा से अधिक राशि का हस्तगत रखना :-

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) में निर्धारित ₹1000 से अधिक राशि हस्तगत रूप में रखी थी, जोकि उक्त नियम के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाये। हस्तगत राशि का विवरण निम्नलिखित है :-

वर्ष	दिनांक	हस्तगत राशि (₹)
2015-16	04.02.2016 (सामान्य रोकड़ वही)	14125
-do-	15.02.2016 (सामान्य रोकड़ वही)	30821
2016-17	18.01.2017 (सामान्य रोकड़ वही)	2380
-do-	19.01.2017 (सामान्य रोकड़ वही)	5630
-do-	20.01.2017 (सामान्य रोकड़ वही)	8294
-do-	21.01.2017 (सामान्य रोकड़ वही)	9769
-do-	23.01.2017 (सामान्य रोकड़ वही)	12869
-do-	26.01.2017 (सामान्य रोकड़ वही)	18969
-do-	27.01.2017 (सामान्य रोकड़ वही)	20144
-do-	12.02.2017 (सामान्य रोकड़ वही)	23544

4.3 पंचायत निधि में ₹0.02 लाख कम जमा करना :-

(i) पंचायत की सामान्य रोकड़ बही की जांच में पाया कि रोकड़ बही के पृष्ठ 80 दिनांक 20.09.16 को नकद शेष का प्रारम्भिक शेष ₹1223 था एवं चैक संख्या 427254 द्वारा ₹7894 की राशि आहरित करके वाउचर संख्या 53 दिनांक 20.09.16 द्वारा ₹7794/- का व्यय किया गया था। अतः कुल नकद शेष ₹1323/- अपेक्षित था। लेकिन नकद शेष ₹1323/- के स्थान पर ₹1223/- लिया गया था अर्थात नकद शेष ₹100/- कम लिया गया था।

(ii) पंचायत की सामान्य रोकड़ बही की जांच में पाया कि रोकड़ बही के पृष्ठ 91 पर दिनांक 19.01.17 को नकद शेष का प्रारम्भिक शेष ₹2380/- था एवं रसीद संख्या 78701 से 78708 एवं 78801 से 78900 तक कुल ₹5350/- की राशि प्राप्त की गई थी एवं कुल नकद

शेष ₹7730/- अपेक्षित था । लेकिन नकद शेष ₹7730/- के स्थान पर ₹5630/- लिया गया था अर्थात नकद शेष ₹2100/- कम लिया गया था ।

उक्त विवरणानुसार नकद शेष ₹2200/- की राशि कम लेने बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108 दिनांक 11.04.18 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 136/18 दिनांक 11.04.18 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त राशि ₹2200/- की वसूली कर ली जायेगी । अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये ।

4.4 सचिव तथा प्रधान द्वारा **अपने नाम से चैक** द्वारा **राशि आहरित करना :-**

सामान्य रोकड़ बही तथा बैंक पास बुकों की जांच करने पर पाया गया कि अधिकतर मामलों में सचिव तथा प्रधान द्वारा पंचायत की राशि अपने नाम से चैक द्वारा आहरित करके विभिन्न फर्मों एवं मजदूरों को भुगतान की गई थी जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार अनुचित है क्योंकि उक्त नियमानुसार ₹1000/- से अधिक का भुगतान चैक द्वारा किया जाना अपेक्षित है । अतः सचिव तथा प्रधान के नाम से चैक द्वारा राशि आहरित किए गए मामलों बारे नियमानुसार अवगत करवाया जाए तथा इस प्रकार के आहरण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए क्योंकि इस प्रकार के आहरण से राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार आहरित की गई राशि के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है :-

खाता संख्या	**चैक संख्या / दिनांक**	**प्रधान/सचिव का नाम**	**आहरित राशि**
KCCB-20073017862	963712/ 10.11.2015	श्रीमति स्नेह लता (प्रधान)	15000.00
-do-	963714/ 24.11.2015	श्री विपन कुमार (सचिव)	31000.00
-do-	963704/ 13.10.15	श्री विपन कुमार (सचिव)	40000.00

4.5 जांच में पाया कि पंचायत की रोकड़ बहियाँ दिनांक 31.03.18 को पंचायत सचिव एवं पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी जिन्हें शीघ्र सत्यापित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

4.6 जांच में पाया कि पंचायत में सामान्य, स्व-स्त्रौत एवं 14वें वित्त आयोग संबन्धित आय व्यय का रख-रखाव एक ही बैंक खाते में रखा गया था जबकि पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.12 के अनुसार पंचायत की प्रत्येक योजना के आय-व्यय का रख-रखाव अलग-2 बैंक खाते में रखा जाना अपेक्षित था। अतः उक्त पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुसार बैंक खाते न खोलने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमानुसार अलग -2 योजना हेतु पृथक बैंक खाते खोलना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

5 पंचायत राजस्व ₹0.55 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.18 को गृहकर व विवाह पंजीकरण फीस के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹55160 की वसूली शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें।

1. गृहकर :

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	33615	29000	62615	33615	29000
2016-17	29000	29000	58000	34840	23160
2017-18	23160	29000	52160	0	52160

2. शादी की पंजीकरण फीस के रूप में ₹0.03 लाख की कम वसूली :-

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400 (बी.पी.एल.परिवार ₹50) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। जांच में पाया कि माह 11/2016 से 01/2017 तक में निम्न विवरणानुसार ₹3000 पंजीकरण फीस के रूप में वसूल नहीं किए गए थे, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें। विवरण निम्नलिखित है :-

विवाह पंजीकरण रजिस्टर क्रमांक संख्या	नाम	पंजीकरण की दिनांक	वसूली योग्य पंजीकरण राशि
10 (2016)	श्री राम प्रसाद	08.11.2016	200/-
11	श्री प्रेम चंद	15.11.2016	200/-
12	श्री मदन लाल	19.11.2016	200/-
13	श्री यशपाल शर्मा	29.11.2016	200/-
14	श्री गुरुवचन सिंह	03.12.2016	200/-
15	श्री राजेन्द्र सिंह	06.12.2016	200/-
16	श्री विनोद कुमार	21.12.2016	200/-
17	श्री बलराम सिंह	22.12.2016	200/-
1 (2017)	श्री पवन कुमार	22.12.2016	200/-
2	श्री रणजीत सिंह	06.01.2017	200/-
3	श्री प्रकाश चंद	06.01.2017	200/-
4	श्री रघुवीर सिंह	18.01.2017	200/-
5	श्री राजेन्द्र कुमार	23.01.2017	200/-
6	श्री अंकुश धीमान	23.01.2017	200/-
7	श्री रविन्द्र शर्मा	23.01.2017	200/-
	कुल राशि		**₹3000/-**

उक्त राशि की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108 दिनांक 11.04.18 द्वारा कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 136/18 दिनांक 11.04.18 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त कम वसूली बारे छानवीन करके वास्तविक स्थिति से अवगत करवा दिया जायेगा । अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

6 अनुदान ₹14.41 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.18 तक अनुदान ₹1441045 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत

द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.80 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) , 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹280404/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

8 ₹10.43 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹1042804 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें ।

9 निर्धारित फार्म में **बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया

गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में परिशिष्ट–1 के अनुसार पंचायत निधि से किया गया व्यय ₹93468 अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये उक्त व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त नियमित करवाना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

10 ₹1.40 लाख के व्यय से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे :-

जांच में पाया कि निम्नलिखित भुगतान विभिन्न तिथियों को पंचायत निधि से किये गये थे लेकिन इन भुगतानों से संबन्धित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इन भुगतानों की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न करवाना पचायती राज वित नियम 2002 के नियम 47(1)(2) की भी स्पष्ट अवहेलना है। अतः अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹139801 के अनियमित व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत निधि मे जमा करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ। भुगतानों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं	वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि (₹)	कार्य का नाम
	General Cash Book, 14th FC				
1	36 माह 07/2015	-	सीमेंट	31200.00	-
2	37 माह 07/2015	-	किराया इत्यादि	2600.00	-
3	39 माह 07/2015	-	सीमेंट एवं स्टील	11052.00	नि. सराय भटनागर, वार्ड-7
4	40 माह 07/2015	-	निर्माण सामग्री	22400.00	-
	MANREGA				
	7/1 दिनांक 22.07.15	Cash Book Page- 88 Dated 22.07.15	सीमेंट	14400.00	-
2	13 दिनांक 22.07.15	Cash Book Page- 89 Dated 22.07.15	Mustrol No. 526, 500,546	19890.00	नि. जल संग्रहण टैंक, ज्योति प्रकाश, वार्ड-3

3	14 दिनांक 22.07.15	Cash Book Page- 89 Dated 22.07.15	Mustrol No. 478, 479,548	25554.00	नि. कूल्ह चौधरी वस्ती, मूहीं
4	90 दिनांक 03.02.17	Cash Book Page- 103 Dated 03.02.17	स्टील	4299.00	-
5	92 दिनांक 03.02.17	Cash Book Page- 103 Dated 03.02.17	स्टील	4159.00	-
6	94 दिनांक 03.02.17	Cash Book Page- 103 Dated 03.02.17	स्टील	4247.00	-
		कुल राशि		**139801.00**	

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108 दिनांक 11.04.18 द्वारा उक्त बिल प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 136/18 दिनांक 11.04.18 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त वाउचर छानवीन करके प्रस्तुत कर दिये जाएंगे। अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

11 स्वीकृत राशि से अधिक व्यय करने पर ₹6.34 लाख का अनियमित व्ययः–

जांच में पाया कि निम्नलिखित कार्यों में ₹633927 की राशि स्वीकृत एवं प्राप्त की गई राशि से अधिक खर्च कर दी गई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्रमांक संख्या	**कार्य का नाम**	**स्वीकृत /प्राप्त राशि**	**व्यय राशि**	**अधिक व्यय**
1	नि. रास्ता गरली से कुल देवी तक	150000/-	387655/-	237655/-
2	नि. रास्ता मेन रोड से बलराज के घर तक	150000/-	226718/-	76718/-
3	नि. रास्ता लिंक रोड से ब्राहमन वस्ती सुभाष के घर तक	-	110836/-	110836/-
4	नि. रास्ता व डंगा बाबड़ी से खड्ड तक	-	121678/-	121678/-
5	सोलर लाइट ZP	-	60000/-	60000/-
6	नि. सामुदायिक शैड बऊआ बलेड़ा MPLAD	120000/-	147040/-	27040/-
			कुल	**633927**

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108 दिनांक 11.04.18 द्वारा उक्त अधिक व्यय राशि बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 136/18 दिनांक 11.04.18 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अधिक व्यय राशि बारे छानवीन करके वास्तविक स्थिति से अवगत करवा दिया जायेगा। अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

12 हिम ऊर्जा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना सोलर लाइटों का क्रय करना एवं निर्धारित दरों से अधिक दरों पर क्रय करने से ₹1.18 लाख का अधिक भुगतान :-

14वें वित्त आयोग के चयनित माह के निम्नलिखित वाउचरों की जांच में पाया कि पंचायत द्वारा मैसर्ज राज इलैक्ट्रिकल से 26 सोलर लाइटों का क्रय न्यूनतम निविदा के आधार पर ₹19900 प्रति सोलर लाइट पर किया गया था, जबकि हिम उर्जा विभाग ने पत्र संख्या HIMURJA/KGR/DMA/SPV-VIII/2016/557 दिनांक 16.02.17 द्वारा सोलर लाइट की दर ₹15356 प्रति सोलर लाइट निर्धारित की गई थी। अतः चयनित माहों में ₹4544 प्रति सोलर लाइट की दर से कुल ₹118144 का अधिक भुगतान करके आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है एवं सोलर लाइट के क्रय हेतु हिम ऊर्जा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया था। अतः विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना अधिक दरों पर क्रय करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि ₹118144 की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ। क्रय का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र.सं	वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि
1	93 दिनांक 09.02.17	Bill No. 1290 Dated -, M/s Raj Electrical	सोलर लाइट 1x19900	19900.00
2	94 दिनांक 09.02.17	Bill No. 1288 Dated 06.02.17, M/s Raj Electrical	सोलर लाइट 2x19900	39800.00
3	95 दिनांक 09.02.17	Bill No. 1289 Dated 06.02.17, M/s Raj Electrical	सोलर लाइट 2x19900	39800.00
4	96 दिनांक 09.02.17	Bill No. 1285 Dated 06.02.17, M/s Raj Electrical	सोलर लाइट 4x19900	79600.00
5	97 दिनांक 09.02.17	Bill No. 1283 Dated 06.02.17, M/s Raj Electrical	सोलर लाइट 4x19900	79600.00
6	98 दिनांक 09.02.17	Bill No. 1286 Dated 06.02.17,	सोलर लाइट	79600.00

		M/s Raj Electrical	4x19900	
7	99 दिनांक 09.02.17	Bill No. 1284 Dated 06.02.17, M/s Raj Electrical	सोलर लाइट 4x19900	79600.00
8	100 दिनांक 09.02.17	Bill No. 1287 Dated 06.02.17, M/s Raj Electrical	सोलर लाइट 5x19900	99500.00
		Total		**517400.00**

13 पंचायत की अतिरिक्त राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वितिय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा । इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाये।

14 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर।
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. सीमेंट भण्डार रजिस्टर तैयार न करना।
6. वही खाते तैयार न करना।
7. रसीद बुकों का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करना।

15 **भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः—**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

16 **लघु आपति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया I

17 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता /—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)205/2018 खण्ड—1—5748—5751 दिनांक—06.09.18
शिमला—09
प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत मूही, विकास खण्ड प्रागपुर जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड प्रागपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881